



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247655  
CG-DL-E-27072023-247655

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3231]  
No. 3231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

**का.आ. 3377(अ).**—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम), राष्ट्रीय स्वचालित अंगुल चिन्ह पहचान प्रणाली (नेशनल ऑटोमेटिड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) और आतंकवाद की इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग (इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का कोई अभिहित कर्मचारी;
- संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- मामला दर मामला के आधार पर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2023

**S.O. 3377(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Crime & Criminal Tracking and Network System (CCTNS), National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS), Integrated Monitoring of Terrorism (I-MoT), being Critical Information Infrastructure of the National Crime Records Bureau, and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—

- (a) any designated employee of the National Crime Records Bureau authorised in writing by the National Crime Records Bureau to access the protected system;
  - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the National Crime Records Bureau for need-based access; and
  - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the National Crime Records Bureau on case to case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)]

SANDIP CHATTERJEE, SCIENTIST 'G'